

शुभक,

श्री. लार्डव विड निरंजन,
विशेष प्राध्यापिका,
उत्तर प्रदेश शासन।

मेधा में,

रवि,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

तथा मउ दि० 12 नवम्बर, 1999

विषय :- कार्ल हुबर स्कूल सेक्टर-36 नोयडा, नीतामकुड नगर को सीबीडवत
ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनाश्रित प्रमाण पत्र दिने जाने
के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कठने का निदेश हुआ है कि कार्ल हुबर
स्कूल सेक्टर-36 नोयडा नीतामकुड नगर को सीबीडवत ई० नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनाश्रित प्रमाण पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार को
निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1] विद्यालय की पंजीकृत सीताइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2] विद्यालय की संबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3] विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4] संस्था द्वारा राज्य सरकार से कितनी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा वैश्व शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोटिल कार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकाय/मिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो इस परीक्षा वर्ष से उत्तर केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5] संस्था वैश्व एवं विदेशीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय तहयता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूच वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य शर्तें नहीं दिये जायेगा।

MANAGER
KARL HUBER SCHOOL
4-A, SEC-62 NOIDA (U.P.)

Smita Mishra
Principal
Karl Huber School

- 161 कर्मचारियों की सेवा की काफ़ी जादेगी और उन्हें सहायता प्राप्त
असावसीय उत्पन्न माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचि
नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी उचित निर्देश दिये जायेंगे
उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/सीपिकाओं में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्निर्देशन के बिना कोई परिवर्तन/
संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रतिनिधि यह भी होगा कि शेष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि
111 विद्यालय की निजी भूमि/भवन तीन माह की अवधि में सुनिश्चित
की जाय।
- 121 शिक्षा एवं सर्व अन्य का तीन माह की अवधि में निर्धारित मानक में
अनुसार हो।
- 3- उक्त प्रतिनिधियों का पालन करना शेष के लिये अनिवार्य होगा और यदि
किसी समय यह पालन जाता है कि शेष द्वारा उक्त प्रतिनिधियों का पालन नहीं
किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की मुश्किल या कठिनाई
या रुकावट है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया
जायेगा।

भारतीय,

। राज्य शिक्षा निर्देशक :
विश्वविद्यालयी शिक्षा :

पुणे-502311/15-7-99 तद्विनिर्देश

- 1- शिक्षा निर्देशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 2- राष्ट्रीय शेष शिक्षा निर्देशक, भैरठ।
 - 3- शिक्षा विभाग निरीक्षक, मौलानापुर।
 - 4- निरीक्षक, उच्च भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ।
 - 5- प्रमुख, जर्मन क्लब सेंटर-36, नोयडा, मौलानापुर।
- अतः है,

। राज्य शिक्षा निर्देशक :
विश्वविद्यालयी शिक्षा :

Smita Mishra
Principal
Karl Huber School

MANAGER
KARL HUBER SCHOOL
4-A, SEC-62 NOIDA (U.P.)